**भारत सरकार**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**

**पशुपालन और डेयरी विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 3871**

**दिनांक 16 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न**

**विषय: पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण**

**3871. श्री असादुद्दीन ओवैसीः**

**श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः**

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुधन बाजार का विनियमन) नियम, 2017 के अंतर्गत नए नियम अधिसूचित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई राज्य सरकारों और कुछ गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने इन नियमों का विरोध किया है और यदि हां, तो उनके विरोध के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और एनजीओ द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ये नियम पूरे देश में लागू हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इन नियमों में संशोधन करने के लिए राज्यों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा राज्यों के अनुरोध पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है; और

(च) नए नियमों ने देश में मवेशियों के व्यापार को कितना प्रभावित किया है?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री**

**(डॉ. संजीव कुमार बालियान)**

(क) से (ग): पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुधन बाजार का विनियमन) नियम, 2017 के प्रारूप को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए 16 जनवरी, 2017 को अधिसूचित किया गया था और सुझाव और टिप्पणियां, जहां कहीं भी उपयुक्त पाए गए, सम्मिलित करने के बाद इन्हें अन्तिम रूप से 23 मई, 2017 को अधिसूचित किया गया था।

(घ) से (च) अलग-अलग व्यक्तियों, संगठनों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें नियमों को वापस लेने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनाँक 11.08.2017 के आदेश के द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुधन बाजार नियमों का विनियमन), नियम, 2017 के नियम 22 (ख)(iii), 22(घ)(ii) तथा (v) और 22(ड.)(i) तथा (iii) पर रोक लगा दी है। तत्पश्चात, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुधन बाजार नियमों का विनियमन) नियम, 2017 का अधिक्रमण करते हुए दिनाँक 22.03.2018 के सा. का. नि. 89 (अ) के रूप में प्रकाशित पशु बाजार में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, नियम, 2018 के प्रारूप को फिर से अधिसूचित किया है। अब, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण विषय को मंत्रिमंडल सचिवालय की दिनाँक 4 अप्रैल, 2019 को जारी अधिसूचना का. आ. 1531(ई.) के द्वारा पशुपालन और डेयरी विभाग को अन्तरित कर दिया गया है।

*****